बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

सं0सं09 / आ0–03–03 / 2008 / स्वा0 / पटना, दिनांक

/ डा0 पंचानन्द प्रसाद तत्कालीन सिविल सर्जन, शिवहर को दिनांक 08.05.08 को 28000 / (अठाईस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्फतार किये जाने एवं उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0 24 / 08 दर्ज किये जाने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0 1006(9) दिनांक 12.09.08 द्वारा 8.5.08 के प्रभाव से निलंबित किया गया था। जमानत पर छूटने के पश्चात् डा0 प्रसाद को कर्तव्यहीनता सरकारी सेवा के प्रतिकूल आचरण करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0 520(9) दिनांक 24.6.09 द्वारा तत्काल प्रभाव से पुनः निलंबित कर दिया गया। डा0 पंचानंद प्रसाद के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0 1574 दिनांक 23.12.08 द्वारा वर्णित आरोपों के आधार पर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

डा0 पंचानंद प्रसाद दिनांक 31.7.10 को सेवानिवृत हो गये, उनकी सेवा निवृति के परिणामस्वरूप उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय अधिसूचना सं0 868(9) दिनांक 31.7.10 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 2005 के नियम 43 बी में सम्परिवर्तित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन दिनांक 5.12.11 में आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी के विरूद्ध आरोपो को प्रथम द्रष्ट्या प्रमाणित पाया गया।

तदालोक में डा0 पंचानंद प्रसाद तत्कालीन सिविल सर्जन शिवहर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आधार पर उनके पेंशन एवं उपादान की शत प्रतिशत राशि स्थायी रूप से जप्त करने का दंड विभागीय अधिसूचना सं0 1270(9) दिनांक 3.10.13 द्वारा दिया गया।

चूंकि आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी के विरूद्ध जो आरोप है वे रिश्वत लेने से संबंधित है एवं अत्यधिक गंभीर आरोप है। भ्रष्टाचार के आरोप, आरोपी चिकित्सा पदाधिकारी के विरूद्ध प्रमाणित है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि आरोपी चिकित्सा पदाधिकारी को कठोरतम दंड देने के पर्याप्त साक्ष्य एवं आधार अभिलेखों में उपलब्ध है।

डा0 पंचानंद प्रसाद के निलंबन अवधि (दिनांक 8.5.2008 से 7.4.2009 तक थे) उन्हें उक्त अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता दिया गया है। उनके द्वारा शेष राशि के भुगतान हेतु रिट याचिका दायर किया गया है।

डा0 प्रसाद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गये थे एवं साक्ष्यों के आधार पर उनका पेंशन एवं उपादान शत प्रतिशत जब्त कर ली गई तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें निलंबत अवधि जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई राशि भुगतेय नहीं करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अतः प्रसाद को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई राशि देय नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव,

स्वा0 विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 617 (9) / स्वा0, पटना , दिनांक: 14/7/2015

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार पटना / अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय उप– निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर / सिविल सर्जन शिवहर / पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 पंचानन्द प्रसाद तत्कालीन सिविल सर्जन, शिवहर सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा श्री एस0डी0 के0 निर्मल 8 एच0 / 8, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, अगमकुआँ, पटना–26 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव / प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,8,10,11,12 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,